



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1344]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2018/चैत्र 14, 1940

No. 1344]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2018/CHAITRA 14, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2018

का.आ. 1488(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा मार्च, 2018 से फरवरी, 2019 के बीच में एक रिजेनेरेटर वॉटम एवं एक इक्यूलिब्रियम कंटेलिस्टर हॉपर के जोगीझोपा जेट्टी से वॉगैगॉव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, आसाम तक सड़क यातायात हेतु जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है—

अनुसूची

1. मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, उपरोक्त यातायात के लिए मै. एल एण्ड टी हाईड्रोकार्बन इंजिनियरिंग, लिमिटेड के लिए यातायात कम्पनी है।
2. प्राईम मूवर्स (ट्रेक्टर): उपरोक्त कंसाईनमेंट के परिवहन में निम्नलिखित नौ प्राईम मूवर्स इस्तेमाल किए जाएंगे :

क्र.सं.	ट्रेक्टरों का पंजीकरण संख्या	मेक	पंजिकृत स्वामी
1.	जीजे12एजेड 3332	वोल्वो	मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
2.	एमएच06एक्यू1289	वोल्वो	
3.	एमएच06एसी 5416	वोल्वो	
4.	एमएच46एच 1064	वोल्वो	
5.	एमएच06एसी 8280	वोल्वो	
6.	एमएच06एसी 8289	वोल्वो	
7.	एमएच06एसी 5750	वोल्वो	
8.	एमएच06एसी 5417	वोल्वो	
9.	एमएच06एक्यू 1290		

3. उपरोक्त एक यातायात के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:

क्रम सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	ट्रेलरों में धूरियों की संख्या	ट्रेलरों में पहियों की संख्या	ट्रेलरों का स्वीकृत कुल सकल भार पंजियन प्रमाण-पत्र के अनुसार (टनों में)	पंजिकृत स्वामी
1.	जीजे 12 एटी 7526	4	32	104	मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई
2.	जीजे 12 जेड 4075	6	48	156	
3.	जीजे 12 जेड 4076	4	32	104	
4.	जीजे 12 जेड 3453	6	48	156	
5.	जीजे 12 जेड 3452	6	48	156	
6.	जीजे 12 जेड 0140	4	32	104	
7.	जीजे 12 जेड 0136	6	48	156	
8.	जीजे 12 एटी 9596	8	64	208	
9.	जीजे 12 जेड 4079	4	32	104	
10.	जीजे 12 जेड 3451	4	32	104	
11.	जीजे 12 एटी 9598	8	64	208	
12.	जीजे 12 जेड 3449	4	32	104	
13.	जीजे 12 जेड 0138	6	48	156	
14.	जीजे 12 जेड 3450	4	32	104	
15.	जीजे 12 जेड 0137	4	32	104	
16.	जीजे 12 जेड 0139	4	32	104	
17.	जीजे 12 एटी 7528	4	32	104	
18.	जीजे 12 एटी 7530	8	64	208	
19.	जीजे 12 एटी 7529	8	64	208	
20.	जीजे 12 जेड 3451	4	32	104	
21.	एमएच 06 7258	4	32	70	
22.	एमएच 06 7246	6	48	105	

4. वाहन और भार विन्यास: लदी हुई स्थिति में कुल सकल भार एवं कन्साइनमेंट का माप निम्नलिखित होगा :-

खाली भार (टन)	कन्साइनमेंट्स का भार(टन)	धूरियों का कुल सकल भार	कन्साइनमेंट का कुल माप (एम.एम. में)(लम्बाई x चौड़ाई x उचाई)	चौड़ाई एवं लम्बाई में धूरियों को जोड़ने का विवरण
12(1+1/2) खाली धूरी पंक्ति का भार: 65.5 टन	222.6 टन	288.1 टन	18150 X 8700 X 8000	रिजेनेरेटर वॉटम के लिए: 1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 12 धूरी पंक्तियां (18 धूरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई में जोड़ा जाएगा (एक धूरी पंक्ति में 12 टायर) ।
16(1+1/2) खाली धूरी पंक्ति का भार: 84 टन	210 टन	294 टन	30700 X 6700 X 8200	इक्यूलिब्रियम केटेलिस्ट हॉपर: 1+1/2 धूरी प्रत्येक पंक्ति में, 16 धूरी पंक्तियां (24 धूरी पंक्ति के बराबर एक समानान्तर में) एवं 1+1/2 धूरियों को चौड़ाई में जोड़ा जाएगा (एक धूरी पंक्ति में 12 टायर) ।

5. उपर्युक्त छूट इन शर्तों के अधीन है:-

- (i) उपरोक्त एक रिजनेरेटर वॉटम एवं एक इक्वुलिब्रियम केटेलिस्ट हॉपर के यातायात हेतु विशेष रास्ता जोगीझोपा जेट्टी - चलंतापरा - वॉगैगॉव - वॉगैगॉव रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, आसाम तक है।
- (ii) लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और वाहनों को प्रत्येक बार सड़कों पर लाते समय इन प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- (iii) वाहन पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे वाहन के आगे तथा पीछे एक-एक वाहन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ वाहन गुजर रहा है।
- (iv) केवल उपरोक्त चार फेरे के लिए ट्रेलरों को चौड़ाई में जोड़ने की अनुमति है।
- (v) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को वाहन के प्रत्येक आवागमन कार्यक्रम की सूचना कम-से-कम दस दिन पूर्व राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकारी/विशेष अधिकारी को देनी होगी।
- (vi) किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के लो.नि.वि./स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो लदे हुए वाहनों को उस राज्य/संघ शासित प्रदेश में सड़कों पर बने पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
- (vii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई को बड़े आकार के कार्गो को ध्यान के रखते हुए उन्हें किसी मार्ग विशेष पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के प्राधिकारियों/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आवागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- (viii) उक्त वाहन, यातायात के सामान्य आवागमन में कोई बाधा पहुँचाए बगैर चलाया जाना चाहिए।
- (ix) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (x) ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने के लिए विधिवत लिखा होना चाहिए/पार्किंग के लिए आगे, और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे वाहन की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xi) सड़कों अथवा सड़क ढांचों/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्तियों का ऐसे वाहनों के प्रचालन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुई किसी क्षति के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी।
- (xii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ऐसे प्रतिबंधों का पालन करेंगी जो इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (xiii) मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई देखेगी कि उपरोक्त फेरों में काम आने वाले सारे वाहनों का सड़क कर दे दिया गया है एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा कवर, राष्ट्रीय परमिट एवं पी यू सी प्राप्त कर लिए गये हैं।
- (xiv) कन्साइमेंट के यातायात हेतु समायोजन में दो प्राइम मूवर एवं 12 और 16 पंक्तियाँ, (1+1/2) धूसी प्रत्येक पंक्ति में होगी।
- (xv) ट्रेलरों के यातायात हेतु चौड़ाई में धूसियों को जोड़ने के पश्चात यदि समायोजन की चौड़ाई सड़क की चौड़ाई से अधिक है तो राज्य सरकारों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से परामर्श कर बाई पास बनाना या अन्य उपाय किए जाएंगे।
- (xvi) ट्रेलरों एवं प्राइम मूवर्स के पंजीकरण पुस्तिका में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पंजीकृत हैं।

(xvii) किसी भी अन्य वाहन मालिकों से लिए वाहनों एवं वाहनों के पार्ट्स के संबंध में उत्पन्न मुद्दों का दायित्व मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई का होगा।

(xviii) कंसाईन्मेंट के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकृति का कोई भी उठे मुद्दे के लिए मै. बोक्सको लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई जिम्मेवार होगा।

[सं. आर.टी-11042/06/2018-एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2018

S.O. 1488(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for transportation of one Regenerator Bottom and one Equilibrium Catalyst Hopper during the period from March, 2018 to February, 2019 from Jogighopa Jetty to Bongaigaon Refinery, Indian Oil Corporation Ltd., Assam by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai is the transporter of M/s L&T Hydrocarbon Engineering, Limited for the aforesaid movement.
2. Prime Movers (Tractors): Total 9 (Nine) prime movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:

Sl. No.	Registration No. of Tractor	Make	Registered Owner
1.	GJ12 AZ 3332	Volvo	M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai
2.	MH06 AQ 1289	Volvo	
3.	MH06 AC 5416	Volvo	
4.	MH 46 H 1064	Volvo	
5.	MH06 AC 8280	Volvo	
6.	MH06 AC 8289	Volvo	
7.	MH06AC 5750	Volvo	
8.	MH06AC 5417	Volvo	
9.	MH 06 AQ 1290	Volvo	

3. The following independently registered Hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

Sl. No.	Registration No. of Trailers	No. of Axles in Trailers	No. of Tyres in Trailers	GVW sanctioned/ mentioned in RC of Trailers (in Ton)	Registered Owner
1.	GJ 12 AT 7526	4	32	104	M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai
2.	GJ 12 Z 4075	6	48	156	
3.	GJ 12 Z 4076	4	32	104	
4.	GJ 12 Z 3453	6	48	156	
5.	GJ 12 Z 3452	6	48	156	
6.	GJ 12 Z 0140	4	32	104	
7.	GJ 12 Z 0136	6	48	156	
8.	GJ 12 AT 9596	8	64	208	
9.	GJ12 Z 4079	4	32	104	
10.	GJ12 Z 3451	4	32	104	
11.	GJ 12 AT 9598	8	64	208	
12.	GJ 12 Z 3449	4	32	104	
13.	GJ 12 Z 0138	6	48	156	
14.	GJ 12 Z 3450	4	32	104	
15.	GJ 12 Z 0137	4	32	104	
16.	GJ 12 Z 0139	4	32	104	

17.	GJ 12 AT 7528	4	32	104
18.	GJ12AT7530	8	64	208
19.	GJ12AT7529	8	64	208
20.	GJ12Z 3451	4	32	104
21.	MH 06 7258	4	32	70
22.	MH 06 7246	6	48	105

4. Vehicle and Load Configuration:- GVW of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be :-

Unladen weight of consignment.	Weight of Consignment in Tons	GVW of the axles required	Overall dimension of consignment (in MM) (length x Width x Height)	Description of Coupling of axles in length and width
12 Nos. (1+1/2) axle line unladen weight: 65.5 tons.	222.6 tons	288.1 tons	18150 x 8700 x 8000	<u>For Regenerator Bottom:</u> 12 axle rows having 1+1/2 axles in each row (equivalent to total 18 axle rows in common parlance). Will be coupled in 1+1/2 axle width(12 tyres per axle row).
16 Nos. (1+1/2) axle line unladen weight: 84 tons.	210 tons	294 tons	30700 x 6700 x 8200	<u>For Equilibrium Catalyst Hopper:</u> 16 axle rows having 1+1/2 axles in each row (equivalent to total 24 axle rows in common parlance). Will be coupled in 1+1/2 axle width(12 tyres per axle row).

5. The above relaxation is subject to the conditions that :-

- (i) The specific route for transportation of one Regenerator Bottom and one Equilibrium Catalyst Hopper will be from Jogighopa Jetty – Chalantapara – Bangaigaon – Bongaigaon Refinery, IOCL.
- (ii) Load restrictions on various roads stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.
- (iii) The vehicles should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- (iv) Coupling of the trailers along side by side the width of the road will be permissible only for above movement.
- (v) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will give advance intimation at least ten days in advance to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such vehicles.
- (vi) If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India, the loaded vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
- (vii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would need to obtain permission before moving, from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India en route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- (viii) The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- (ix) The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 10kms/hour.
- (x) The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly. In addition the entire overhang shall be covered with a red reflector/reflective tape to facilitate clear vision of overhang.
- (xi) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the trailers.

-
- (xii) M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.
- (xiii) Company will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized in the above movements.
- (xiv) Each set of vehicles for transportation of consignment, will consist of two Prime Movers and 12 rows of (1+1/2) axles and 16 rows (1+1/2) in each row.
- (xv) In case, the width after sideway coupling of trailers exceeds the road width in certain stretches, by passes/other measures in consultation with States Authorities/National Highway Authority of India will be taken for movement of the above consignment.
- (xvi) No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the State of Gujarat and Maharashtra.
- (xvii) In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumbai shall be responsibility for the same.
- (xviii) Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the M/s Boxco Logistics India Pvt. Ltd., Mumba.

[No. RT-11042/06/2018-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.